केन्द्रीय विविध अधिनियम
भाग–१

सर्वाधिकार सुरक्षित

(केवल शिक्षण में प्रयोग के लिए)

–: प्रकाशक :–

प्रकाशन विभाग

डॉ० भीमराव आम्बेडकर, उत्तर प्रदेश, पुलिस अकादमी

मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश

रु: मुद्रक :रु

माधव प्रिन्टर्स एण्ड पैकर्स

सी–19, सरस्वती लोक, दिल्ली रोड, मेरठ फोन : 9837084207

1

अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, 1956

(IMMORAL TRAFFIC (PREVENTION) ACT, 1956)

(1956 का अधिनियम संख्यांक 54) (30 दिसम्बर 1956)

धाराओं का क्रम

धाराएँ

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरम्भ
2. परिभाषाएँ
2क. जम्मू-कश्मीर पर विस्तार न रखने वाला अधिनियमितियों के अर्थान्वयन का नियम
3. वेश्यागृह बनाये रखने अथवा परिसर को वेश्यागृह के रूप में प्रयोग करने को अनुज्ञात करने के लिए दण्ड
4. वेश्यावृति के उपार्जन पर जीविका निर्वाह करने के लिए दण्ड
5. वेश्यावृत्ति करने के लिये व्यक्ति को लेना, उत्प्रेरित या उपाप्त करना
6. किसी व्यक्ति का परिसर में निरोध जहाँ वेश्यावृत्ति की जा रही हो
7. लोक स्थानों में या आस-पास में वेश्यावृत्ति
8. वेश्यावृत्ति के प्रायोजन के लिये विलुब्ध या याचना करना
9. किसी व्यक्ति को अभिरक्षा में विलुब्ध करना
10. सुधार संस्था में निरोध
11. पूर्वतन दोषसिद्ध अपराधियों के पतों की अधिसूचना
12. विशेष पुलिस अधिकारी और सलाहकार निकास
13. अपराधों का संज्ञेय होना
14. बिना वारण्ट के तलाशी
15. किसी व्यक्ति का छुड़ाया जाना
16. धारा 15 के अधीन हटाये गये या धारा 16 के अधीन छुड़ाये गये व्यक्तियों की मध्यान्तरिक अभिरक्षा
17. धारा 16 के अधीन छुड़ाये गये व्यक्तियों को माता-पिता या संरक्षक के पास रखे जाने के पूर्व पालनीय शर्तें
18. वेश्यागृहों का बन्द किया जाना और अपराधियों की परिसर से बेदखली
19. संरक्षण गृह में रखे जाने के लिये या न्यायालय में संरक्षण और देखभाल उपबन्धित कराने के लिये आवेदन

20. वेश्याओं को किसी स्थान से हटाया जाना

21. संरक्षण गृह और सुधार संस्थायें

21क. अभिलेख पेश करना

22. विचारण

22क. विशेष न्यायालय गठित करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति

22कक. विशेष न्यायालय गठित करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति

22ख. मामलों का संक्षिप्त विचारण करने की न्यायालय की शक्ति

23. नियम बनाने की शक्ति

24. अधिनियम का कतिपय अन्य अधिनियमों के अल्पीकरण के रूप में न होना

25. निरसन और व्यावृत्तियाँ अनुसूची

अनैतिक व्यापार के निवारण के लिये मई 1950 के नवें दिन न्यूयार्क में हस्ताक्षरित अन्तर्राष्ट्रीय कनवेंशन के अनुसरण में उपबन्ध करने को अधिनियम

भारतीय गणराज्य के सातवें वर्ष द्वारा यह निम्न प्रकार अधिनियमित हो :–

(1) संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ : (1) यह अधिनियम अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, 1956 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर होगा।

(3) यह धारा तत्काल प्रवृत्त हो जायेगी और इस अधिनियम के शेष उपबन्ध ऐसी तारीख को प्रवृत्त होंगे, जैसी केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत कर सके।

(2) परिभाषायें : इस अधिनियम में जब तक कि सन्दर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो

(क) **''वेश्यागृह'' के अन्तर्गत कोई मकान, कक्ष वाहन या स्थान का कोई भाग होता है, जो लैंगिक शोषण या दुरुपयोग के प्रायोजन के लिये, किसी अन्य व्यक्ति के लाभ के लिए अथवा दो या अधिक वेश्याओं के पारस्परिक लाभ के लिये किया जा रहा हो।**

(क-क) ''बालक'' से अभिप्रेत है, वह व्यक्ति जिसने 16 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है।

(ख) **''सुधार संस्था''** से किसी नाम से कही जा सकने वाली संस्था (**धारा 24 के अधीन इस प्रकार अनुज्ञापित या स्थापित संस्था होते हुये**) जिसमें वे व्यक्ति जिन्हें सुधार की आवश्यकता है, इस अधिनियम के अधीन निरुद्ध किये जा सकेंगे और इसमें कोई आश्रय सम्मिलित होगा, जहाँ इस अधिनियम के अनुसार विचारणाधीनों को रखा जा सके।

(ग) **''मजिस्ट्रेट'' से अनुसूची के द्वितीय कालम में, किसी धारा द्वारा जिसमें वह पद आता है,** प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने को सक्षम होते हुए और **जो अनुसूची के प्रथम कालम में विनिर्दिष्ट है,**

वे विनिर्दिष्ट मजिस्ट्रेट अभिप्रेत है।

(ग-क) **व्यस्क से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है।**

(ग-ख) **''अवयस्क'' से अभिप्रेत है, वह व्यक्ति जिसने 16 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 18 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।**

(घ) 'विहित' से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है।

(ङ) विलुप्त।

(च) **''वेश्यावृत्ति'' से अभिप्रेत है,** वाणिज्यिक प्रायोजनों के लिये व्यक्तियों का लैंगिक शोषण या **दुरुपयोग, और अभिव्यक्ति ''वेश्या''** का तदनुसार अर्थ लगाया जायेगा।

(छ) **''संरक्षण गृह''** से किसी नाम से कही जा सकने वाली संस्था **(धारा 21 के अधीन इस प्रकार अनुज्ञप्ति या स्थापित संस्था होते हुए)** अभिप्रेत है। जिसमें वे व्यक्ति जिन्हें देख-भाल और संरक्षण की आवश्यकता है, इस अधिनियम के अधीन रखे जा सके और जहां समुचित तकनीकी अर्हता प्राप्त व्यक्ति, उपस्कर तथा अन्य सुविधायें हों, किन्तु उसमें सम्मिलित नहीं होंगे–

(1) वे आश्रय, जहां इस अधिनियम के अधीन विचारणाधीनों को रखा जा सके, या

(2) सुधार संस्था

(ज) **''लोक-स्थान''** से लोक द्वारा पहुँचने योग्य या प्रयोग के लिए आशयित कोई स्थान अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत लोक वहन भी होंगे।

(झ) **''दुर्व्यापार पुलिस अधिकारी''** से अभिप्रेत है, **धारा 13 की उपधारा (4) के अधीन केन्द्रीय राज्य सरकार द्वारा नियुक्त पुलिस अधिकारी;**

(ञ) **''स्त्री'' से कोई नारी अभिप्रेत है, जो 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी हो।**

टिप्पणी : इस अधिनियम के अधीन अपराधों का निवारण प्रथम वर्ग से न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है- गुजरात राज्य चतुरभुज भगनलाल AIR 1976 Sc 1697

(2-क) जम्मू और कश्मीर पर विस्तार न रखने वाली अधिनियमितियों के अर्थान्वयन का नियमः इस अधिनियम में किसी विधि के प्रति निर्देश, जो जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवृत न हो, उस राज्य के सम्बन्ध में, का अर्थ उस राज्य में प्रवृत तत्स्थानी विधि के प्रति निर्देश लगाया जायेगा।

(3) वेश्यावृत्ति बनाए रखने अथवा परिसर को वेश्यागृह के रूप में प्रयोग करने की अनुज्ञात करने के लिए दण्ड : कोई व्यक्ति जो वेश्यागृह को बनाये रखता है या प्रबन्ध करता है अथवा बनाए रखने या प्रबन्ध करने में सहायता देता है या कार्य करता है, **प्रथम दोषसिद्धि पर एक वर्ष से कम और तीन वर्ष से अधिक** न होने वाली अवधि के लिए **कठोर कारावास से और जुर्माने से जो दो हजार रुपये के** विस्तार का हो सके तथा द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में, दो वर्ष से कम किन्तु पांच वर्ष से अधिक न होने वाली अवधि के कठोर कारावास से, और जुर्माने से भी, दो हजार रुपयों के विस्तार का हो सके, दण्डनीय होगा।

(2) कोई व्यक्ति जो : (क) **किसी परिसर को किरायेदार, पट्टेदार, अधिभोगी या भारसाधक** व्यक्ति होते हुए, ऐसे परिसर या उसके किसी भाग को वेश्यागृह के रूप में प्रयोग करता है या जानते हुए किसी अन्य

व्यक्ति को प्रयोग करना अनुज्ञात करता है, या

(ख) किसी, परिसर का स्वामी, पट्टादाता या भू-स्वामी या ऐसे स्वामी पट्टादाता या भू-स्वामी का अभिकर्त्ता होते हुए, उसे या उसके किसी भाग को, इस ज्ञान के साथ कि वह या उसका कोई भाग वेश्यागृह के रूप में प्रयोग किये जाने को आशयित है, देता है या ऐसे परिसर या उसके किसी भाग को वेश्यागृह के रूप में प्रयोग किये जाने में स्वेच्छया पक्षकार है,

प्रथम दोषसिद्धि पर दो वर्ष तक के विस्तार की अवधि के कारावास से और दो हजार रुपये के विस्तार के हो सकने वाले जुर्माने से, और द्वितीय या पश्चातवर्ती दोषसिद्धि की दशा में 5 वर्ष के विस्तार तक की अवधि के हो सकने वाले कठोर कारावास से और जुर्माने से भी, दण्डनीय होगा।

(2-क) उपधारा (2) के प्रायोजनों के लिये यह उपधारणा की जायेगी, जब तक उसके प्रतिकूल साबित न किया गया हो, कि उस उपधारा के खंड (क) या (ख) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति परिसर या उसके किसी भाग को वेश्यागृह के रूप में प्रयोग करने को जानते हुए अनुज्ञात कर रहा हो या यथास्थिति, उसे यह ज्ञात था कि परिसर या उसके किसी भाग को वेश्यागृह के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, यदि–

(क) उस क्षेत्र में जिसमें कि ऐसा व्यक्ति निवास करता है प्रसारित होने वाले समाचारपत्र में इस आशय की रिपोर्ट प्रकाशित हुई हो कि इस अधिनियम के अधीन ली गई तलाशी के परिणामस्वरूप वह परिसर या उसका कोई भाग वेश्यागृह के लिये प्रयोग करता पाया गया, या

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट तलाशी के दौरान पाई गई सभी वस्तुओं की सूची की एक प्रति ऐसे व्यक्ति को दे दी गई हो।

(3) तत्समय प्रवृत्त अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, उपधारा (2) के खण्ड (ख) में निर्देशित किसी व्यक्ति की उस धारा के अपराध में दोषसिद्धि किसी परिसर या उसके किसी भाग की बाबत होने पर कोई पट्टा या करार जिसके अधीन ऐसे परिसर का पट्टा दिया गया था, या धारित की गई हो या अपराध कारित किये जाते समय दखल की गई हो, उक्त दोषसिद्धि की तारीख के प्रभाव से शून्य और असंप्रवर्तनीय हो जायेंगे।

4. वेश्यावृत्ति के उपार्जन पर जीविका निर्वाह के लिये दण्ड : (1) अट्ठारह वर्ष की आयु से अधिक का कोई व्यक्ति जो जान-बूझकर किसी अन्य व्यक्ति की वेश्यावृत्ति से उपार्जित धन पर पूरी तौर पर या अंशतः जीवन-निर्वाह करता है, उसी अवधि के कारावास से जिसका विस्तार दो वर्ष तक हो सकेगा या जुर्माने से जिसका विस्तार एक हजार रुपयों तक हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा (और जहाँ ऐसा उपार्जन बालक या अवयस्क से सम्बन्धित हो वह सात वर्ष से कम और दस वर्ष से अधिक न होने वाली अवधि के कारावास से दण्डनीय होगा।)

(2) जहाँ अट्ठारह वर्ष से अधिक आयु का कोई व्यक्ति : (क) किसी वेश्या के साथ रह रहा हो या उसकी संगति से आभ्यासिक तौर पर हो, या

(ख) किसी वेश्या के कार्यकलापों पर ऐसी रीति में नियंत्रण, निदेशक या असर डालने का प्रयोग करता है, जो यह प्रदर्शित करे कि ऐसा व्यक्ति उसे वेश्यावृत्ति करने में, सहायता, दुष्प्रेरित कर विवश कर रहा है, या

(ग) किसी वेश्या की ओर से दलाल या कूटना के रूप में कार्य कर रहा हो; यह उपधारणा की जायेगी, जब तक प्रतिकूल साबित न हो, कि ऐसा व्यक्ति उपधारा (1) के अभिप्रेतों में अन्य व्यक्ति के वेश्यावृत्ति के उपार्जन पर जान-बूझकर जीवन-निर्वाह कर रहा है।

5. वेश्यावृत्ति कराने के लिये व्यक्ति को लेना, उत्प्रेरित या उपाप्त करना : (1) कोई व्यक्ति जो :

(क) वेश्यावृत्ति के प्रायोजन के लिये किसी व्यक्ति को, उसकी सम्मति से या उसके बिना उपाप्त करता है या उपाप्त करने का प्रयत्न करता है, या

(ख) व्यक्ति को किसी स्थान को जाने को उत्प्रेरित करता है कि वह वेश्यावृत्ति के प्रयोजनों के लिये वेश्यागृह की निवासी हो सके या बार-बार आ जा सके; या

(ग) व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसके द्वारा वेश्यावृत्ति करने या उस पर वेश्यावृत्ति कराये जाने की दृष्टि से, ले जाता है या ले जाने का प्रयत्न करता है, या ले जाया जाने देता है; या

(घ) किसी व्यक्ति से वेश्यावृत्ति कराता है या उसके लिये उत्प्रेरित करता है;

सिद्धदोष होने पर तीन वर्ष से कम और सात वर्ष से अधिक न होने वाली अवधि कारावास और जुर्माने से भी जो दो हजार रुपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा तथा यदि इस धारा के अधीन कोई अपराध किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध कारित किया है तो सात वर्ष की अवधि के कारावास का दण्ड चौदह वर्षो की अवधि के कारावास तक विस्तृत होगा।

परन्तु यदि कोई व्यक्ति जिसकी बाबत इस उपधारा के अधीन अपराध किया गया है-

(क) बालक है, तो इस धारा के अधीन उपबन्धित दण्ड सात वर्ष से कम न होने वाली और आजीवन तक हो सकने वाली अवधि के कारावास तक बढ़ाया जायेगा; और

(ख) अवयस्क है तो इस धारा के अधीन उपबन्धित दण्ड सात वर्ष से कम और चौदह वर्ष से अधिक न होने वाली अवधि के कठोर कारावास तक बढ़ाया जायेगा।

(2) (विलुप्त)।

6. किसी व्यक्ति का परिसर, में निरोध, जहाँ वेश्यावृत्ति की जा रही हो : (1) कोई व्यक्ति जो किसी व्यक्ति को उसकी सम्मति से या उसके बिना निरुद्ध करता है-

(क) किसी वेश्यागृह में; या

(ख) किसी परिसर में उस पर, इस आशय से कि ऐसा वह व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ जो कि उसका पति या पत्नी नहीं है, मैथुन कर सके :

(सिद्धदोष होने पर, किसी भांति के ऐसी अवधि के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी या जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा :

परंतु न्यायालय निर्णय में वर्णित समीचीन और विशेष कारणों से, सात वर्ष से कम की अवधि के कारावास का दण्ड अधिरोपित कर सकेगा।)

(2) जहाँ कोई व्यक्ति वेश्यागृह में बालक के साथ पाया जाये, यह उपधारणा की जायेगी, जब तक

कि तत्प्रतिकूल साबित न किया गया हो, कि उसने उपधारा (1) के अधीन अपराध कारित किया है।

(2-क) जहाँ वेश्यागृह में पाया गया कोई बालक या अवयस्क का, चिकित्सकीय परीक्षण पर लैंगिक रूप से दुरुपयोग किया जाना पता चलता है, यह उपधारणा की जायेगी जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न किया गया हो, कि बालक या अवयस्क को वेश्यावृत्ति के प्रयोजन के लिए निरुद्ध किया गया था, या यथास्थिति, उसका वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिये लैंगिक शोषण किया गया था।

(3) कोई व्यक्ति किसी स्त्री या लड़की को किसी वेश्यागृह में या अन्य किसी परिसर में किसी पुरुष से मैथुन करने के प्रायोजन से, उसके विधिमान्य पति के अतिरिक्त निरुद्ध करने को उपधारित किया जायेगा, जब उसे, वहाँ रुके रहने को उत्प्रेरित या विवश करने के आशय से—

(क) उसका कोई आभूषण, वेश सज्जा, धन या उसकी होने वाली कोई अन्य सम्पत्ति प्रतिधारित करता है, या

(ख) उसे कानूनी कार्यवाहियों की धमकी देता है, यदि वह अपने साथ कोई आभूषण वेश सज्जा, धन या उस व्यक्ति के निदेश द्वारा उसे दी गई या प्रदान की गई कोई अन्य सम्पत्ति अपने साथ लेकर भाग जाती है।

(4) किसी अन्य विधि में कोई बात प्रतिकूल होने पर भी, ऐसी स्त्री या लड़की के विरुद्ध उस व्यक्ति के आवेदन पर जिसके द्वारा वह निरुद्ध की गई हो कोई आभूषण, वेश सज्जा या ऐसी स्त्री या लड़की को या के लिये दी गई या प्रदाय करने को या ऐसी स्त्री या लड़की द्वारा गिरवी रखी जाने को अभिकथित किसी सम्पत्ति की वसूली के लिये या ऐसी स्त्री या लड़की द्वारा संदेय होने को अभिकथित कोई धन की वसूली के लिये, कोई अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

7. लोक स्थान में या उसके आस-पास वेश्यावृत्ति : (1) कोई व्यक्ति जो वेश्यावृत्ति करता है और वह व्यक्ति जिसके साथ वेश्यावृत्ति की गई है, किसी परिसर में—

(क) जो कि उपधारा (3) के अधीन अभिसूचित क्षेत्र या क्षेत्रों के भीतर है, या

(ख) जो कि लोक धार्मिक पूजा, शिक्षण संस्थान, होस्टल, चिकित्सालय, प्रसूति गृह या किसी प्रकार के ऐसे अन्य लोक स्थानों से जैसे कि इस निमित्त पुलिस आयुक्त या मजिस्ट्रेट द्वारा विहित रीति में अधिसूचित किये जायें, दो सौ मीटर की दूरी के भीतर हो तीन माह के विस्तार की हो सकने वाली अवधि के कारावास से दण्डनीय होगा।

(1-क) जब उपधारा (1) के अधीन कारित अपराध बालक या अवयस्क की बाबत हो, तो अपराध कारित करने वाला व्यक्ति दोनों मे से किसी भांति के कारावास से दण्डनीय होगा जिसकी अवधि सात वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास की हो सकेगी या जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने का भी दायी होगा।)

परंतु न्यायालय निर्णय में वर्णित समीचीन और विशेष कारणों से सात वर्ष से कम की अवधि के कारावास का दण्ड अधिरोपित कर सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति, जो : (क) लोक स्थान को कायम रखने वाला होते हुए जान-बूझकर वेश्याओं को

उनके व्यापार के अधिगम या बने रहने के लिए प्रायोजन के लिये अनुज्ञात करता है; या

(ख) उपधारा (1) में निर्देशित किसी परिसर का किरायेदार, पट्टेदार, अधिभोगी या भारसाधक व्यक्ति होते हुए जान-बूझकर उसे या उसके किसी भाग को वेश्यावृत्ति के लिए प्रयोग करना अनुज्ञात करता है; यां

(ग) उपधारा (1) में निर्देशित किसी परिसर का स्वामी पट्टादाता या भू-स्वामी अथवा ऐसे स्वामी, पट्टादाता या भू-स्वामी का अभिकर्त्ता होते हुये यह जानते हुये कि वह या उसका कोई भाग वेश्यावृत्ति के लिये प्रयोग किया जा सकेगा, उसे या उसके किसी भाग को पट्टे या किराये पर देता है, तथा ऐसे प्रयोग में जान-बूझकर या एक पक्ष है;

प्रथम दोषसिद्धि पर तीन मास तक की अवधि के कारावास से या दो सौ रुपये तक के जुर्माने या दोनों से और द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में छः मास के विस्तार की अवधि के कारावास से और दो सौ रुपयों तक के जुर्माने से भी दण्डनीय होगा (और जहाँ लोकस्थान या परिसर होटल हो, तो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन ऐसे होटल का कारोबार करने की अनुज्ञप्ति भी तीन मास से कम न होने वाली किंतु एक वर्ष तक की हो सकने वाली कालावधि के लिए निलंबित की जाने की दायी होगी :

परंतु यदि इस उपधारा के अधीन होटल में कारित अपराध बालक या अवयस्क की बाबत हो, तो ऐसी अनुज्ञप्ति रद्द किये जाने के भी दायित्वाधीन होगी।

स्पष्टीकरण : इस धारा के प्रयोजन के लिये होटल का वही अर्थ होगा जैसा कि होटल की प्राप्तियों (आय) पर कर अधिनियम 1980 की धारा 2 के खण्ड (6) में है।

(3) राज्य सरकार राज्य में किसी क्षेत्र में आने जाने वाले व्यक्तियों के प्रकार का ध्यान रखते हुए; उसमें जनसंख्या की सघनता और प्रकृति तथा अन्य संगत बातों पर विचार करते हुए शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निर्दिष्ट कर सकेगी कि ऐसे क्षेत्रों में जैसे अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये जा सकें, वेश्यावृत्ति नहीं की जायेगी।

(4) जहाँ उपधारा (3) के अधीन किसी क्षेत्रों की बाबत अधिसूचना जारी की गई हो, राज्य सरकार ऐसे क्षेत्र की परिसीमा युक्ति युक्त निश्चितताओं के साथ अधिसूचना में परिभाषित करेंगी।

(5) ऐसी कोई अधिसूचना उसके जारी होने की तारीख के पश्चात् नब्बे दिन की अवधि के अवसान के पूर्व की तारीख को लागू होने के लिए जारी नहीं की जायेगी।

8. वेश्यावृत्ति के प्रायोजन के लिये विलुब्ध करना या याचना करना : जो कोई किसी लोक स्थान में या उसकी दृष्टि में तथा ऐसी रीति में जिससे लोक स्थान से देखा और सुना जा सके चाहे किसी भवन या मकान से या कहीं और से—

(क) शब्दों, अंगविच्छेद, उसके शरीर के जानबूझकर प्रदर्शन (चाहे खिड़की में या बालकनी पर बैठकर या किसी अन्य तरीके से), या अन्यथा द्वारा वेश्यावृत्ति के लिए किसी व्यक्ति को प्रलोभित करता है या प्रलोभित करने का प्रयास करता है, अथवा उसका ध्यान आकर्षित कराता है या आकर्षित करता है; या

(ख) वेश्यावृत्ति के प्रायोजन के लिए किसी व्यक्ति से याचना करता है या दिक् करता है या

इधर-उधर घूमता है या ऐसी रीति में कोई कार्य करता है जिससे ऐसे लोक स्थान के समीप रहने वालों या गुजरने वालों को क्षोभ या बाधा कारित हो या लोकशिष्टता के विरुद्ध अपराध कारित हो,

वह प्रथम दोषसिद्धि पर छः मास तक की अवधि के कारावास से या पाँच सौ रुपयों तक के जुर्माने से या दोनों से और द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में एक वर्ष की अवधि के कारावास और पाँच सौ रुपयों तक के जुर्माने से भी दण्डनीय होगा :

(परंतु जहाँ इस धारा के अधीन कोई अपराध किसी पुरुष द्वारा किया गया हो, तो वह सात दिन से कम न होने वाली किंतु तीन मास तक की हो सकने वाली कालावधि के लिये कारावास से दण्डनीय होगा।)

9. किसी व्यक्ति का अभिरक्षा में विलुब्ध करना : कोई व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति को वेश्यावृत्ति के लिये विलुब्ध करने का दुष्प्रेरण या सहायता करता है या कराता है (दोषसिद्धि पर, दोनों में से किसी भांति के ऐसी अवधि के कारावास से दण्डनीय होगा जो सात वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी तथा जुर्माने का भी दायी होगा;

परंतु न्यायालय निर्णय में वर्णित समीचीन और विशेष कारणों से सात वर्ष से कम की अवधि के लिये कारावास का दंड अधिरोपित कर सकेगा :

(2) (* * *)

(10) (* * *)

10 क-सुधार संस्था में निरोध-(1) जहाँ : (क) धारा 7 या 8 के अधीन अपराध की दोषी पाई गई नारी अपराधी :

(ख) अपराधी का चरित्र उसके स्वास्थ्य की दशा और मानसिक स्थिति तथा मामले की अन्य परिस्थितियां ऐसी हों कि यह समीचीन है कि उसे ऐसे अनुदेशों, अनुशासन और ऐसे निबन्धनों के अध्यधीन निरुद्ध किया जाये, जैसा कि उसके सुधार के लिये साधक हों,

न्यायालय को कारावास दण्ड के बदले सुधार संस्था में ऐसी अवधि के लिये, दो वर्ष से कम न होने वाली तथा पाँच वर्ष से अधिक न होने वाली, निरोध का आदेश पारित करना विधिमान्य होगा।

परंतु ऐसा आदेश पारित करने के पूर्व :

(i) न्यायालय अपराधी को सुनवाई का अवसर देगा और किसी अभ्यावेदन पर, जो अपराधी ऐसी संस्था में व्यवहार के लिये मामले की उपयुक्तता के बारे में न्यायालय को कर सकें और अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के अधीन नियुक्त परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट पर भी विचार करेगा; और

(ii) न्यायालय यह अभिलिखित करेगा कि उसका समाधान हो गया है कि अपराधी का चरित्र, स्वास्थ्य की दशा और मानसिक स्थिति तथा मामले की अन्य परिस्थितियां ऐसी हैं कि अपराधी की यथापूर्वोक्त अनुशासन और ऐसे आदेशों से लाभ होने की संभावना है।

(2) उपधारा (3) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अपील, निर्देश